

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस

वाद संख्या 49/2019

सुवालाल अग्रवाल पुत्र बिडदीचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू  
आबाद ईई-367 साल्ट लेक सिटी, सेक्टर-1 बिधाननगर नोर्थ पीओ सीसी ब्लॉक नोर्थ 24  
कलकत्ता-700064 वेस्ट बंगाल जरिये मुख्खार श्री नरोतमसिंह पुत्र गणेशराम जाति गुर्जर  
गुर्जरों की ढाणी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू

-वादी

बनाम

1. रणवीरसिंह पुत्र गणेशराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जरो की ढाणी खिरोड तहसील नवलगढ  
जिला झुन्डुनू
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू  
-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकार्ड,  
निर्णय

डिवाकेट वादी- श्री विप्लव पंडित  
डिवाकेट प्रति-श्री नरेन्द्रसिंह चौधरी

निर्णय



दिनांक 10.04.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम खिरोड पटवार हल्का खिरोड की सरहद में नई खाता सं० 111 की भूमि ख.न. 1365 रकबा 0.12 है० स्थित जिसके संबंध में उक्त वाद घोषणार्थ का पेश किया जा रहा है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है। वादी व्यापार के सिलसिले में वर्तमान में कोलकता में निवास करता है जो मुकदमें में नबी हेतु आने जाने में असमर्थ है इसलिये अपने विश्वासी नरोतम सिंह की और से जरिये मुख्खार उक्त वाद प्रस्तुत है। उपरोक्त विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा वादी का तथा 4/5 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 का है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी नं. 1 के मध्य हिस्से व खातेदारी को लेकर कोई विवाद नहीं है प्रतिवादी नं. 1 विवादित भूमि का सहखातेदार है इसलिये बतौर पक्षकार वाद पत्र में संयोजित किया गया है ताकि कानूनी रूप से कोई खामी नहीं रहे। वादी का 1/5 हिस्सा है तथा इसी अनुसार कब्जा काशत है परन्तु राजस्व रिकार्ड में सहवन से सुवालाल दर्ज है जो गलत है, बिडदीचन्द वादी के पिता है तथा वादी बिडदीचन्द का पुत्र है तथा बिडदीचन्द वादी के पिता हैं तथा वादी बिडदीचन्द का पुत्र है तथा बिडदीचन्द के पिता का नाम अकारमल है। राजस्व रिकार्ड गलत बना हुआ है इसलिये वादी विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में बिडदीचन्द पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/5 के स्थान पर सुवालाल पुत्र बिडदीचन्द हिस्सा 1/5 दुरुस्त करवाना चाहता है तथा इस आशय की घोषणा करवाना चाहता है जिसके लिये उक्त वाद पेश है। भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत बना हुआ है। वादी की अन्य भूमि ग्राम सेवानगर खाता सं० 23 ग्राम खिरोड खाता सं० 202 में सही नाम सुवालाल पुत्र बिडदीचन्द दर्ज है। वादी के निर्वाचन के पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, शिक्षा के रिकार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजात में भी सुवालाल पुत्र बिडदीचन्द दर्ज है जो सही तथ्य को प्रमाणित करते हैं, परन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में सुवालाल पुत्र बिडदीचन्द के स्थान पर बिडदीचन्द पुत्र सुवालाल दर्ज इसलिये सही व दुरुस्त किया जाना उचित है। उक्त वाद के लिये वादकारण गलत राजस्व रिकार्ड बनने के रोज पटवारी हल्का द्वारा गलत इन्द्राज हेतु जानकारी देने वे राजस्व रिकार्ड की नकले लेने व जानकारी होने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। अतः वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम खिरोड की सरहद में स्थित नई खाता सं० 111 की भूमि ख.न. 1365 रकबा 0.12 है० के राजस्व रिकार्ड में दर्ज बिडदीचन्द पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/5 के स्थान पर सुवालाल पुत्र बिडदीचन्द हिस्सा 1/5 दुरुस्त करने की कृपा करें तथा इस आशय की घोषणा फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नं. 1 से वकील श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी का वकालतनामा व इकबालिया जबाब दावा प्रस्तुत किया। वाद वादी डिक्री किये जाने में कोई एतराज नहीं होना वर्णित किया गया तथा प्रतिवादी नं. 2 के स्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत कर वर्णित किया कि ग्राम खिरोड की सरहद में स्थित भूमि खाता सं० 111 की भूमि ख.न. 1365 रकबा 0.12 है० के खातेदारी कॉलम में बिडदीचन्द पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/5 के सीन पर सुवालाल पुत्र बिडदीचन्द हिस्सा 1/5 शुद्धि किया जाना उचित है।

जबाबदावा प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम खिरोड संवत 2075 से 2078 के अनुसार भूमि खाता सं० 111 के ख.न. 1365 रकबा 0.12 है० की खातेदारी बिडदीचन्द पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/5 जाति महाजन सा.दे.खा. तथा रणवीरसिंह पुसत्र गणेशाराम हिस्सा 4/5 जाति गुर्जर सा.दे.खा. दर्ज रिकार्ड है। इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिनमें छाया प्रति पेनकाड तथा पहचान पत्र सुवालाल अग्रवाल पुत्र बिडदीचन्द अंकित किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुत छाया प्रति कोलकाता निसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जारी बिडदीचन्द के मृत्यु प्रमाण पत्र में बिडदीचन्द पुत्र औंकार मल अग्रवाल दर्ज किया गया है। ग्राम खिरोड जमाबंदी संवत 2075-2078 खाता सं० 112/226 तथा सं० 112/202 में वादी का नाम सुवालाल पुत्र पुत्र बिडदीचन्द जाति महाजन के नाम से दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार बिडदीचन्द के पिता का नाम औंकारमल होना तथा सुवालाल के पिता का नाम बिडदीचन्द जाति महाजन होना प्रमाणित है। अतः प्रस्तुत रिकार्ड, सबूत व रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ के अनुसार वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

#### आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम खिरोड की भूमि खाता सं० 111 के ख.न. 1365 रकबा 0.12 है० में बिडदीचन्द पुत्र सुवालाल के स्थान पर सुवालाल पुत्र बिडदीचन्द जाति महाजन हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ

